बिहार सरकार
उद्योग निदेशालय

पत्रांक 46/आ0 4621
सं0 सं0–05/उ0 नि0 ब0 (आवंटन) 27/2018

पटना, दिनांक 19.12.18

प्रेषक,

पंकज कुमार सिंह,
उद्योग निदेशक, बिहार।

सेवा में,

सहायक उद्योग निदेशक (लेखा),
उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना।

विषय :– **मुख्यशीर्ष–2851–ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्यशीर्ष–00, लघुशीर्ष–102–लघु उद्योग, मांग संख्या–23, उपशीर्ष–0106–उद्योग मित्र, विपत्र कोड–23-2851.00.102.0106, के विषय शीर्ष 0106.31.04–सहायक अनुदान–वेतन एवं 0106.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन मद से वित्तीय वर्ष 2018–19 में उद्योग मित्र योजना हेतु रू0 1,40,00,000/–(एक करोड़ चालीस लाख) मात्र अनुमानित व्यय के सहायक अनुदान की स्वीकृति के आलोक में राशि का आवंटन।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में निर्गत विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक 4600 दि0 18.12.2018 के आलोक में विषयांकित बजट शीर्ष के अधीन विषय शीर्ष 0106.31.04–सहायक अनुदान–वेतन एवं 0106.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन मद से चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में उद्योग मित्र योजना हेतु रू0 1,40,00,000/–(एक करोड़ चालीस लाख) मात्र का आवंटन स्वीकृत किया जाता है।

2 इस राशि का व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्य योजना आय–व्ययक शीर्ष 2851–ग्राम तथा लघु उद्योग, उप मुख्यशीर्ष–00, लघुशीर्ष–102–लघु उद्योग, मांग संख्या–23, उपशीर्ष–0106–उद्योग मित्र, विपत्र कोड–23-2851.00.102.0106, के विषय शीर्ष 0106.31.04–सहायक अनुदान–वेतन एवं 0106.31.06–सहायक अनुदान–गैर वेतन मद में उपबंधित राशि से निम्न सारणी के अनुरूप विकलित होगा :–

क्रम सं0	विषय शीर्ष	आवंटित राशि (रू0)
1	0106.31.04 सहायक अनुदान–वेतन	1,09,00,000/–
2	0106.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन	31,00,000/–
3	**योग**	**1,40,00,000/–**

3 राशि की निकासी वित्त विभाग के ज्ञापांक 2561 वि0(2) दिनांक 17 अप्रैल, 1998 एवं समय–समय पर निर्गत आदेश के आलोक में की जाय तथा उक्त परिपत्र के प्रत्येक अनुदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4 राशि की निकासी करते समय निम्नांकित बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखा जाय :–

(क) योजना की स्वीकृति के आधार पर तथा वित्त विभाग के उक्त परिपत्र में निर्धारित अधिसीमा तक ही व्यय किया जाय।

(ख) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का यह दायित्व है कि वित्त नियमावली के भाग–1 के नियम 475 का अनुपालन दृढ़तापूर्वक करें ताकि व्यय पर नियंत्रण रखा जा सके और किसी भी हालत में प्रावधानित राशि से अधिक व्यय नहीं होने पाए।

(ग) एक इकाई की राशि दूसरी इकाई में व्यय नहीं की जाय।

5 राशि की निकासी नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जाएगी।

6 व्यय प्रतिवेदन व्यय के तुरंत बाद टी0 भी0 नं0/बिल नं0 के साथ अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दें।

7 2018–19 का प्रत्यर्पण प्रतिवेदन 15 मार्च 2019 तक अवश्य भेज दें।

कृ0 पृ0 उ0

8 आवंटित राशि का व्यय विभागीय स्वीकृत्यादेश ज्ञापांक 4600, दिनांक 18.12.2018 में निहित निर्देश के अनुरूप किया जाए। साथ ही, इसके साथ संलग्न परिशिष्ट–1 के द्वारा विभिन्न मदों में राशि के वितरण का पूरा ध्यान रखा जाए।

विश्वासभाजन

19/12

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 46/31/427 पटना, दिनांक 19.12.18

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, नया सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/12

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 46/31/427 पटना, दिनांक 19.12.18

प्रतिलिपि :– योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना/महालेखाकार, बिहार, पटना/संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/जिला पदाधिकारी/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम निदेशालय/निदेशक, तकनीकी विकास निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक (योजना), उद्योग विभाग, बिहार, पटना /ए0सी0–डी0सी0 यू0सी0 कोषांग, उद्योग विभाग/प्रशाखा–05(बजट) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, इंदिरा भवन, बिहार, पटना/उप उद्योग निदेशक (योजना शाखा) उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना एवं आई0टी0मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/12

उद्योग निदेशक
बिहार, पटना।